



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265721
CG-DL-E-26082025-265721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3798]
No. 3798]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3903(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH-48 के कि.मी. 592.240 से कि.मी. 658.000 (कागल-सातारा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/छह लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, इंचलकरंजी, उपविभाग इंचलकरंजी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को

व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH-48 के कि.मी. 592.240 से कि.मी. 658.000(कागल-सातारा सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: कोल्हापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हातकणंगले					
गांव का नाम: घुणकी					
1	1433 Part	निजी	कृषिक	0.0325 (हेक्टेयर)	0.0325
2	1437 Part	निजी	कृषिक	0.102 (हेक्टेयर)	0.102
गांव का नाम: किणी					
3	898 Part	निजी	कृषिक	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
4	899 Part	निजी	कृषिक	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
5	900 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
6	901 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
7	904 Part	निजी	कृषिक	0.075 (हेक्टेयर)	0.075
8	905 Part	निजी	कृषिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
9	941 Part	निजी	कृषिक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
10	944 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05

11	945 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
12	946 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
13	948/B Part	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
14	949 Part	निजी	कृषिक	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
गांव का नाम: शिरोली					
15	145 Part	निजी	कृषिक	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
Total					0.9745

[फा. सं. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 3903(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning/six laning etc.), maintenance, management and operation of NH-48 in the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 658.000(Kagal-Satara Section) in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Ichalkaranji, Sub-Division Ichalkaranji in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 658.000 (Kagal-Satara Section) of NH-48 in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: KOLHAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hatkanangle					
Village: Ghunki					
1	1433 Part	Private	Agriculture	0.0325 (Hectare)	0.0325
2	1437 Part	Private	Agriculture	0.102 (Hectare)	0.102
Village: Kini					
3	898 Part	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
4	899 Part	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
5	900 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
6	901 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
7	904 Part	Private	Agriculture	0.075 (Hectare)	0.075
8	905 Part	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
9	941 Part	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
10	944 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
11	945 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
12	946 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
13	948/B Part	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
14	949 Part	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
Village: Shirol					
15	145 Part	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
Total					0.9745

[F. No. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director